रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड—3 उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 557] नई दिल्ली, [बृहस्पति वार, नवम्बर 11, 1971/कार्तिक 20, 1893

No. 557] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 1971/KARTIKA 20, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th Nobember 1971

S.O. 5145/IDRA/29B/71/8.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 912/IDRA/29B/70/3 dated the 28th February, 1970 as amended, namely—

In Schedule II to the said notification,—

(i) item Nos. 48, 50, 51 and 52 relating to "Steel furniture", "Mechanical toys", "Aluminium utensils" and "Fountain pens and ball-point pens" respectively shall be omitted;

(ii) *for* item Nos. 68, the following item shall be *substituted*, namely:—

"68. zinc oxide (by conversion of metallic zinc only)."

[No. F. 20(2)/Lic.Pol./71.]

N. J. KAMATH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1971

एस० ओ० 514/5आई डी आर ए/29बी/71/8.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65 वां) की धारा 29 ख की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 912/आई डी आर ए/29ख/70/3 दिनांक 28 फरवरी, 1970 जिसे संशोधित किया गया है, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची 2 में

(1) "इस्पात फर्नीचर", "यांत्रिक खिलौने", "एल्यूमिनियम के बेलन" और "फाउन्टेन पेन" व "बाल पाइन्टपेन" से सम्बन्धित क्रमशः मद संख्या 49, 50, 51 तथा 52 को समाप्त किया जायगा।

(2) मद संख्या 68 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात् :—

" 68 जिंक आक्साइड (मैकेनिक जिंक को ही केवल परिवर्तन करें) ।"

[संख्या फा० 20 (2)/नाइपोलिसी/71]

एन० जे० कामत, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971